न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0
पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 96/2021
निजाम पुत्र नसरूद्दीन जाति कुरैशी निवासी वार्ड संख्या 6 मदी कॉलोनी नूंह मेवात हरियाणा

प्रार्थी

बनाम

1. ईशब
2. आजाद पिसरान हण्डल जाति मेव निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री प्रमोद शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री अशोक शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2

दिनांक :–13/03/2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर नया 3785/0.54 बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीदशुदा भूमि है जिसका प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज आराजी है और आराजी पर शान्ति पूर्वक तरीके से कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी ने उक्त आराजी को पूर्व खातेदार रमजान पुत्र शादी जाति मेव निवासी कैथवाडा से रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16/04/2019 को खरीद किया था। बाद खरीद से आराजी पर प्रार्थी काबिज चला आ रहा है। विवादित आराजी से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबन्ध और अप्रार्थीगण के मन में बदयान्ती आ गई है । प्रार्थी को उसकी खातेदारी की आराजी से अप्रार्थीगण लट्ठ व ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है जिसके सवव दिनांक 08/12/2021 को अप्रार्थीगण ने धमकी दी है कि वे उक्त आराजी को जबरन लट्ठ के बल पर नाजायज कब्जा करके रहेगे यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त धमकीयों के मुताबिक अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को सख्त हक तलफी होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि संभव नहीं हो सकेगी। प्राईमा फैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति मुझ प्रार्थी के पक्ष में प्रकट है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित

Scanned with OKEN Scanner

आये । वकील अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश ना करने के कारण जबाब अप्रार्थीगण दिनांक 05/10/2023 को बन्द किया गया।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण:–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है विवादित आराजी प्रार्थी ने रमजान पुत्र शादी जाति मेव निवासी कैथवाडा से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16/04/2009 को खरीद की है और प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की अपेक्षा प्रार्थी में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है विवादित आराजी प्रार्थी ने रमजान पुत्र शादी जाति मेव निवासी कैथवाडा से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16/04/2009 को खरीद की है और प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी में ही निहित है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की अपेक्षा प्रार्थी में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की अपेक्षा प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर नया 3785/0.54 बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय तहसील पहाडी पर मौके की यथा स्थिति बनाये रखे एवं कोई निर्माण कार्य नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 13/03/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).

Scanned with OKEN Scanner